भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4616
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां

4616. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एनटीपीसी ने इन अग्रेषित रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एनटीपीसी ने दूरदराज के क्षेत्रों के लिए चयनित उम्मीदवारों को त्यागपत्र देने से हतोत्साहित करने के लिए उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है या बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जी हां, एनटीपीसी लिमिटेड अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए भारत सरकार के आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और उनकी रिक्तियां तदनुसार निर्धारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.01.2025 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिक्त आरक्षित रिक्तियों को नीचे दिए गए अनुसार अग्रेषित किया गया है:

पदों की श्रेणी	एससी श्रेणी	एसटी श्रेणी
ग्रुप-ए	26	15
ग्रुप-बी	-	-
ग्रुप-सी	-	13
ग्रुप-डी	-	-

(ग) और (घ) : एनटीपीसी लिमिटेड दिसंबर, 2025 तक उपर्युक्त अग्रेषित (बैकलॉग) रिक्तियों को भरने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

अग्रेषित (बैकलॉग) रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) आयोजित किए जा रहे हैं। भर्ती वर्ष 2025 में, जून 2025 तक 02 विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भी नियमित भर्ती विज्ञापनों के माध्यम से विज्ञापित किया गया है।

(ङ) और (च) : एनटीपीसी लिमिटेड, डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) के दिनांक 07.09.2017 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, राष्ट्रपति के निर्देश जारी होने की तिथि अर्थात 10.05.2018 से निम्नलिखित स्थान भत्ते का भुगतान कर रहा है:

i. पूर्वोत्तर में स्थित एनटीपीसी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को मूल वेतन के 10% की दर से पूर्वोत्तर भत्ता।
ii. दुर्गम एवं दूर-दराज क्षेत्रों के लिए विशेष भत्ता
iii. एनटीपीसी प्रवेशकालिक कार्यक्रम विविध पृष्ठभूमि से आने वाले नए कर्मचारियों को संगठनात्मक मूल्यों/संस्कृति में आत्मसात करने और नौकरी करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने में भी मदद करता है।

****